केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 32 शुक्रवार 21 अगस्त 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

छात्र आंदोलन में पैलेट गन–लाठीचार्ज की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी

नई दिल्ली (आभा)। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले पिछले महीने हुए संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस ऐक्शन और हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट की तरफ से एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस छात्र आंदोलन में पुलिस बलों, पैरामिलिट्री फोर्स के ऐक्शन की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब एंड

हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एल. आर बिश्नोई शामिल हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कमेटी 20 मार्च को हुए आंदोलन के दौरान पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठी चार्ज और आंसू गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की जांच करेगी। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित हिंसा, भीड़ को काबू करने के तरीकों पर भी पूछताछ की जाएगी।

इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो फुटेज को लेकर भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के सभी वीडियो फुटेज को भी हाई पावर कमेटी को सौंपा जाएगा।

पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ जेल में निधन

नई दिल्ली (आभा)।कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया है। वह लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 1984 के सिख दंगों में दोषी पाए गए थे। हालांकि, दो मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी में उन्हें बरी कर दिया था। खबर है कि राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया था। सफदरजंग अस्पताल ने मौत की पुष्टि कर दी है। कुमार तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। उन्हें सिख विरोधी दंगों से जुड़े 2 मामलों में सजा सुनाई गई थी। जबकि, 1 मामले में वह बरी हुए थे। ये मामला जनकपुरी इलाके में हुई हिंसा का था। इस केस

में दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2026 में उन्हें बरी कर दिया था। तब अदालत ने यह फैसला सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सुनाया था। साल 2013 में लोअर कोर्ट ने पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट 1 में 5 लोगों की हत्या मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को पलटा था । क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी है।

अंत्येष्टि स्थल शिलान्यास के मौके पर बनकटी मण्डल अध्यक्ष अंकित पाण्डेय, पवन , ग्राम प्रधान फरजाना, शमीम सिद्दीकी क्षेत्र पंचायत सदस्य बच्चूलाल राणा , ए.डी.ओ. पंचायत आशुतोष पटेल , सचिव मदन गोपाल पाण्डेय, अशोक उपाध्याय, रामदेव चौहान, एजाज अहमद, शमीउल्लाह के साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बेटियों को स्कूटी देगी योगी सरकार

लखनऊ (आभा)। यूपी की बेटियों को लेकर योगी सरकार तमाम प्रयास कर रही है। चाहें वह उनकी सुरक्षा हो या फिर पढ़ाई–लिखाई के साथ उनकी शादी की जिम्मेदारी। बेटियों को लेकर योगी सरकार ने तमाम योजनाएं भी चलाई हैं। शहर हो या फिर ग्रामीण, हर क्षेत्र की बेटियों को योगी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाल दिनों में अभी मेधावी छात्राओं को टैबलेट और स्कूटी सरकार की ओर से दी गई हैं। अब योगी सरकार दिव्यांग छात्राओं के लिए योजना लेकर आई है जिनके अंक मेधावी छात्राओं से कम हैं। ऐसी छात्राओं को योगी सरकार अब मुफ्त में स्कूटी प्रदान करेगी। आईए जानते हैं, किस योजना के तहत दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त में इस योजना का लाभ मिलेगा? रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत स्नातक पास टॉप पांच प्रतिशत मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। सामान्य छात्राओं की मेरिट से 10 प्रतिशत कम अंक पाने वाली दिव्यांग, शहीद सैनिक परिवार व निराश्रित बेटियों को भी स्कूटी दी जाएगी।

ई. अरविन्द पाल ने दिल्ली में किया भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी का स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–संघर्षशील, ऊर्जावान और समर्पित नेता हैं हरीश द्विवेदी– ई. अरविन्द पाल

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए जाने के बाद पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के दिल्ली प्रथम आगमन पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर पंचायत बनकटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता ई. अरविन्द पाल के नेतृत्व में दिल्ली एयरपोर्ट, अप भवन और हरीश द्विवेदी के दिल्ली स्थित आवास पर फूल–मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया गया।

भाजपा नेता ई. अरविन्द पाल ने कहा कि हरीश द्विवेदी को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाना बस्ती जनपद के लिए गौरव की बात है। उन्होने कहा कि बस्ती के पूर्व सांसद को पार्टी संगठन में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व का विषय है। हरीश द्विवेदी संघर्षशील, ऊर्जावान और समर्पित नेता हैं तथा संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

अरविन्द पाल ने कहा कि हरीश द्विवेदी के राष्ट्रीय महामंत्री बनने से बस्ती सहित पूर्वांचल के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई जिम्मेदारी के माध्यम से हरीश द्विवेदी संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे।

स्वागत करने वालों में प्रमोद पाण्डेय, दीपक सिंह, सुनील सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, आर.डी. सिंह, हनुमान यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

लम्बे समय से एक ही मण्डल में तैनात कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग, कार्रवाई न हुई तो सीएम योगी से मिलेंगे हियुवा महामंत्री कन्हैया लाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती मण्डल मुख्यालय में लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर हिन्दू युवा वाहिनी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। संगठन के जिला महामंत्री एवं नामित सभासद कन्हैया लाल ने इस संबंध में राजस्व परिषद लखनऊ के अध्यक्ष को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि बस्ती मंडल के कार्यालय में कई कर्मचारी करीब 10 से 12 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। संगठन का कहना है कि लंबे समय से एक ही कार्यालय में तैनाती रहने के कारण संबंधित कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में अनियमितता, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता की शिकायतें सामने आ रही हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में पूर्व में कई बार आयुक्त, बस्ती मण्डल को अवगत कराया गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि प्रभावी कार्रवाई न हुई तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या

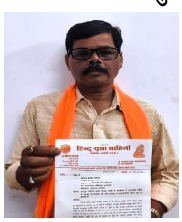

के समाधान की मांग करेंगे।

हियुवा जिला महामंत्री कन्हैया लाल ने पत्र में छह कर्मचारियों का उल्लेख करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की है। इनमें वरिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट के शैलेश कुमार श्रीवास्तव और अनुपम कुमार, कनिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट बस्ती आलोक कुमार सिंह व सलम श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट संतकबीर नगर राजेश रसाल और सौरभ श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं।

पत्र में शासन के 5 मई 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी कर्मचारी के एक मंडल में सात वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद उसका स्थानांतरण दूसरे मंडल में किया जाना विधि सम्मत है। संगठन ने मांग की है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा उनका स्थानांतरण किया जाए।

कन्हैया लाल का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई और लंबे समय से तैनात कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं हुआ, तो वह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराएंगे।

उन्होंने कहा कि मामला जनहित और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा है, इसलिए शासन के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई होना जरूरी है।

प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह ने किया अंत्येष्टि स्थल का शिलान्यास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को विकास खण्ड बनकटी के ग्राम पंचायत हर्रैया में बनकटी प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह ने अंत्येष्टि स्थल का विधि विधान से शिलान्यास किया। कहा कि यह स्थल ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, इसके बन जाने पर लोगों को असुविधा नहीं होगी। प्रमुख प्रतिनिधि और भाजपा नेता रामायण रघुनाथ सिंह ने कहा कि उनका संकल्प क्षेत्र का विकास, जन–जन की सुविधा और हर परिवार का सम्मान करना है। इसी भावना के साथ बनकटी

मोटर वाहन प्रशिक्षण विद्यालयों के संचालन को लेकर उठे सवाल, मांगें पूरी न होने पर आन्दोलन की चेतावनी

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। जिले में मोटर वाहन प्रशिक्षण विद्यालयों के कथित अनियमित एवं मानक विहीन संचालन को लेकर ऑटो रिक्शा जन कल्याण समिति ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। समिति के जिला संरक्षक महेन्द्र श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने तथा मानक पूरे न करने वाले प्रशिक्षण विद्यालयों को बंद कराने की मांग की है।

डीएम को सौपे पत्र में आरोप लगाया गया है कि जिले में एक दर्जन से अधिक मोटर वाहन प्रशिक्षण विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। समिति का कहना है कि भारी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फॉर्म–5 ए के नाम पर वाहन चालकों से 1,000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क जमा करने के बाद रसीद मांगने पर विद्यालय प्रबंधन एवं उनके कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। महेन्द्र श्रीवास्तव ने पत्र में जिक्र किया है कि परिवहन आयुक्त द्वारा 23 फरवरी 2026 को आदेश संख्या 121 जारी किया गया था, लेकिन संबंधित विद्यालय द्वारा आदेश का कथित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी

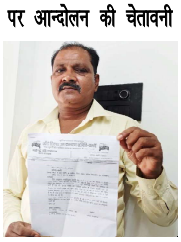

–ऑटो रिक्शा जन कल्याण समिति संरक्षक महेन्द्र श्रीवास्तव ने डीएम को भेजा पत्र

आरोप लगाया कि कुछ विद्यालय निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते और वहां प्रशिक्षकों की उपलब्धता भी नहीं है।

समिति ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने, मानकविहीन विद्यालयों का संचालन बंद कराने तथा फॉर्म–5 ए को निशुल्क किए जाने की मांग की है।

जिला संरक्षक महेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस ने सदभावना दिवस के रूप में किया राजीव गांधी को नमन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को उनके 82 वीं जयन्ती पर सदभावना दिवस के रूप में याद किया गया। गुरूवार को बस्ती सदर विकास खण्ड के मरवटिया गांव में जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के संयोजन आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी अपने भाषणों में हमेशा 21वीं सदी में तरक्की का जिक्र किया करते थे। राजीव गांधी का मानना था कि टेक्नोलॉजी के सहारे देश में बदलाव किया जा सकता है। उन्होने राजीव गांधी ने टेलीकॉम और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काफी काम करवाया।

संगठन सृजन अभियान की कड़ी में बस्ती में निरन्तर सक्रिय केन्द्रीय पर्यवेक्षक चन्दन यादव और प्रदेश पर्यवेक्षक डा. आर.पी. त्रिपाठी, नवीन सिन्हा ने कहा कि राजीव गांधी का मानना था कि अगर देश की युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है तो उनके लिए कम्प्यूटर और विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए बजट को बढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना

कराई। उन्होंने पंचायत राज का एक बड़ा फैसला भी लिया। उन्होंने स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिलाने का कार्य किया। युवा को वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष आयु से घटा कर 18 वर्ष करने का कार्य किया। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी के नाम तकनीक क्रांति के बीज बोने का श्रेय भी जाता है। उनके प्रयासों का ही फल है कि आज इसरो चांद पर पहुंचने की पहल कर सका। उनका योगदान और देश के लिये बलिदान सदैव याद किया जायेगा। कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कठिन समय में राजीव जी ने देश की बागडोर संभाला और उदाहरण बनकर उभरे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश में चौतरफा विकास हुआ। वे सदैव याद किये जायेंगे।

यह जानकारी देते हुये जिला उपाध्यक्ष डा. वाहिद अली सिद्दीकी ने बताया कि भारत रत्न राजीव गांधी के जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयन्त चौधरी, संदीप श्रीवास्तव, शिव विभूति मिश्र, गिरजेश पाल, डा. आलोक रंजन वर्मा, राम बहादुर सिंह, रामपूरन चौधरी आदि शामिल रहे।

बसपा पिछड़ा वर्ग भाईचारा बैठक में ओबीसी समाज से पार्टी मजबूत करने का आह्वान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विधानसभा क्षेत्र 311 महादेवा के सेक्टर सिल्लो में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में पिछड़ा वर्ग भाईचारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों ने भाग लिया और आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान कई लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की।

मुख्य अतिथि जिला संयोजक के.सी. मौर्य ने कहा कि बसपा सरकार के कार्यकाल में ओबीसी समाज के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। कहा कि पार्टी को मजबूत कर बहन कुमारी मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना होगा।

विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक अनूप कुमार एडवोकेट ने कहा कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी ही विकल्प है। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया।

–ओबीसी समाज के विकास के लिये बसपा सरकार में हुआ था सर्वाधिक कार्य–के.सी. मौर्य

कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा सहसंयोजक अभय पटेल सिल्लों ने की। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के युवाओं को भटकने की जरूरत नहीं है। समाज को बसपा सरकार के दौरान किए गए कार्यों को याद करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन प्रभेद चौधरी ने किया। बैठक में आज्ञाराम वर्मा, जय प्रकाश वर्मा, राम रतन वर्मा, राजकुमार निषाद, सचिन गुप्ता, शिवाजी पांडेय, कौशलेन्द्र पटेल, रघुपति शर्मा, सूर्य देव पांडेय, बल्ली शर्मा, रामानुज विश्वकर्मा, चंद्रेश प्रजापति, अंकुर चौधरी, राजकपूर यादव, कोलई प्रसाद, सतगुरु प्रसाद, राम नवल चौधरी, अशोक चौधरी, अतुल पटेल, रितेश चौधरी, निर्मल प्रसाद बौद्ध, ज्ञानकान, रुस्तम, इंसान अली, किस्मत अली, शाहबाज शाह, रुदल, रामभवन, हीरालाल, मंहगू, मुनीराम और विजय गौतम सहित गांव के तमाम लोग मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने पर जोर दिया।

सफाईकर्मियों की नियमित उपस्थिति की मांग को लेकर शिक्षकों ने डीएम, सीडीओ को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने तथा ग्रामसभाओं में तैनात सफाईकर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष चन्द्रिका प्रसाद सिंह और जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में विद्यालयों में सफाईकर्मियों की दैनिक हाजिरी दर्ज कराने की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।

संगठन ने कहा कि ग्रामसभाओं में तैनात सफाईकर्मियों से संबंधित विद्यालयों में नियमित साफ–सफाई कराया जाना आवश्यक है। शासन–प्रशासन की ओर से विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई विद्यालयों में सफाईकर्मियों के नियमित नहीं पहुंचने से परिसर, शौचालय और आसपास के क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर पड़ सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि सफाईकर्मियों की

उपस्थिति विद्यालय स्तर पर निर्धारित पंजिका में प्रतिदिन दर्ज कराई जाए। प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा उनकी उपस्थिति और किए गए सफाई कार्य का प्रमाणीकरण कराया जाए। सफाईकर्मियों को विद्यालय परिसर, शौचालयों तथा आसपास के क्षेत्र की नियमित सफाई के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

संगठन ने यह भी मांग की कि बिना उचित कारण विद्यालय से अनुपस्थित रहने अथवा सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाले सफाईकर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रत्येक माह मानदेय अथवा वेतन भुगतान से पूर्व उनकी वास्तविक उपस्थिति और कार्य का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए। संगठन ने कहा कि स्वच्छ विद्यालय ही बच्चों के लिए स्वस्थ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन स्तर से ठोस कार्रवाई आवश्यक है।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर तिवारी, उपाध्यक्ष गिरजेश चौधरी, जितेंद्र पाण्डेय, विवेक कांत पांडेय, अनिल पाठक, राम भवन, राम ललित, सुरेश गौड़,विनोद यादव, विवेक प्रताप सिंह,संजय यादव, चंदन श्रीवास्तव, अविनाश दुबे,सनद पटेल, प्रवीण श्रीवास्तव, प्रमोद सिंह, बृजेश त्रिपाठी, राम पियारे, अनूप सिंह, मुरलीधर, अखिलेश पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर निकली ओपीएस बहाली तिरंगा यात्रा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को उ.प्र. पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली की मांग को लेकर संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी और राज्य कर्मचारी विकास भवन परिसर में एकत्र हुये। विकास भवन कर्मचारी संघ अध्यक्ष राम अधार पाल ने हरी झण्डी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। कर्मचारी हाथों में तिरंगा और सिर पर (ओपीएस) बहाली की टोपी पहनकर सुभाष चन्द्र बोस प्रतिमा से होते हुये शास्त्री चौक पहुंचे।

उ.प्र. पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य ने बताया कि (ओपीएस) बहाली तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में विशेष उत्साह था। उन्होने कहा कि सरकार

–पुरानी पेंशन को तत्काल बहाल करे सरकार–अजय कुमार आर्य

कर्मचारियों के व्यापक हितों को देखते हुये पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल करे।

विकास भवन कर्मचारी संघ अध्यक्ष राम अधार पाल ने कहा कि कर्मचारी लम्बे समय से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के बहाली की मांग को लेकर निरन्तर आन्दोलन चल रहा है किन्तु सरकार चुप्पी साधे हुये है। यह स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ताजनक है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष मस्तराम वर्मा, मंत्री तौलू प्रसाद, उ.प्र. पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के मंत्री मनसाराम, संगठन मंत्री अमित चकवर्ती, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार चौहान, लेखा सम्प्रेक्षक भरत कुमार आदि ने कहा कि सरकार ओपीएस को तत्काल बहाल करे। कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन–यापन का आधार प्रदान करती है।

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली की मांग को लेकर निकली तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के अशोक सिंह, कलेक्ट्रेट संघ के मंत्री आशीष कुमार, विकास भवन संघ मंत्री ओम प्रकाश, जलालुददीन कुरेशी, सुजीत बाबू, के साथ ही सफाई कर्मचारी संघ के मण्डलीय मंत्री रूद्रनरायन उर्फ रूदल, राजेश कुमार, विजय भारत, लालजी निषाद, अशोक कुमार दूबे, दिनेश श्रीवास्तव, सोमईराम आजाद, राम सहाय यादव, बजरंगी, महीबुल्ला, रामपाल भारती, महेन्द्र कुमार, हरीराम, हनुमान प्रसाद, जैश्री, श्रीचन्द, मो. कलीम, संजय कुमार यादव, बलराम कन्नौजिया, सन्तोष कुमार शर्मा, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, मायाराम चौधरी, रामलालित, दिलीप चौधरी, बब्लू, दीनानाथ, राकेश कुमार वर्मा, हरिश्चन्द्र, जगदीश सैनी, शेषराम वर्मा, शैलेन्द्र कुमार, रामरतन चौधरी, रामकिशुन, संजय सिंह, अनिल निषाद, राम प्रकाश चौधरी, प्रदीप कुमार के साथ ही संघ के अनेक पदाधिकारी, सफाईकर्मी उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 21 अगस्त 2026 शुक्रवार

सम्पादकीय

राजनीति के दाग अच्छे हैं...?

किसी भी समाज में यह उम्मीद की जाती है कि उनके जनप्रतिनिधि में उच्च स्तर की ईमानदारी, बेदाग छवि और दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। एक आदर्श राजनेता उसे कहा जाता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के कल्याण को प्राथमिकता दे। मगर जब कोई नेता गंभीर आरोपों में घिरा हो, तो वह जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर कितना खरा उतर पाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में बताया गया कि देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ चार हजार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें तीन सौ से ज्यादा सांसद तथा चौदह मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राजनीति में शुचिता के मानदंडों पर क्या सही मायने में अमल हो पा रहा है? साथ ही इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि राजनेताओं के लिए विशेष व्यवस्था के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे के निपटारे में इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है।

देश की राजनीति में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग–अलग समय में बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। इसके बावजूद विधायिका में ऐसे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल सिर्फ मुकदमे जल्दी निपटाने का नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की मौजूदगी और जवाबदेही से भी है।

इसमें दो राय नहीं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना और उसका अपराध साबित होना दो अलग–अलग बातें हैं। मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसे अदालत से दोषी न करार दिया जाए। मगर सवाल यह भी है कि जो समाज अपने नेता को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखता है, अगर वह गंभीर आरोपों में घिरा हो, तो उसे किस तरह देखा जाएगा? क्या इससे ईमानदार राजनीति की शुचिता प्रभावित नहीं होगी? नैतिकता का तकाजा तो यही है कि जब किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगें, तो वह विधायी पद से खुद को अलग कर ले, लेकिन आज के समय में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने की व्यवस्था लागू की है, ताकि मतदाताओं को यह निर्णय करने में आसानी हो कि उन्हें किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। मगर, इस सब के बावजूद राजनीति में आपराधिक छवि के नेताओं के प्रवेश पर अंकुश नहीं लग पाया है। हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 2025 में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1,243 आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया, जबकि उसी वर्ष 1,050 नए मामले भी दर्ज किए गए। हालांकि, सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं, लेकिन शीर्ष अदालत को दी गई जानकारी में बताया गया कि वर्ष 2018 से ऐसे लंबित मामलों की संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है। जाहिर है कि सिर्फ विशेष अदालतें बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि उनके पास ऐसे मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए पर्याप्त संसाधन होना भी जरूरी है।

युवा पीढी का आक्रोश

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के आरोपों के बीच अभ्यर्थियों ने जो विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, वह इस संबंध में राज्य सरकार के फैसले के बाद एक तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया लगता है। सरकार ने टीडीपीएल के संचालन में हुई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग–संयुक्त स्नातक स्तर (जेएसएससी–सीजीएल) परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यह प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की एक प्रमुख मांग थी। इसके अलावा, झारखंड लोकसेवा आयोग–14 की परीक्षा रद्द होगी और जेपीएससी ग्यारह से तेरह की भी जांच की जाएगी। साथ ही सरकार ने परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी कंपनी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसकी ओर से जारी नतीजों को भी रद्द करने का फैसला किया। इस संदर्भ में झारखंड के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में काम कर रही कई कंपनियां एक बड़े परीक्षा गिरोह में संलिप्त हो गई लगती हैं।

सवाल है कि अगर राज्य सरकार को इस बारे में पहले से भनक थी, तो उसने उस कथित गिरोह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम क्यों नहीं उठाया। फिर सारी स्थितियां स्पष्ट होने के बावजूद विद्यार्थियों का आंदोलन तीन हफ्ते से भी ज्यादा समय तक क्यों खिंचता रहा? सरकार यह कह सकती है कि वह विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर चिंतित थी और उसने समस्याओं से निपटने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण) अधिनियम लागू कर दिया है।

मगर परीक्षाओं में अनियमितता पर काबू पाने के लिए सारी व्यवस्थाएं चाक–चौबंद थीं, तो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने क्यों आईं और विद्यार्थियों को आंदोलन का रास्ता क्यों अख्तियार करना पड़ा? हालांकि परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सरकार के सकारात्मक और लोकतांत्रिक रुख का संकेत है, लेकिन समूची व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस नीति और निर्णयों को जमीन पर उतारने की जरूरत पड़ती है।

बहरहाल, झारखंड सरकार के सामने एक नई चुनौती यह सामने आ सकती है कि विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरह टीडीपीएल के माध्यम से हुए अभ्यर्थियों के चयन को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है, अब उससे संबंधित नई जटिलता सामने खड़ी होगी। गौरतलब है कि सरकार का फैसला अमल में आया, तो उसके बाद इन परीक्षाओं के जरिए चयनित 1975 लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 2014 के बाद से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच होगी। सवाल है कि जितने लोगों की नौकरियां जाने की आशंका है, क्या सरकार उन सभी को अनियमितता का जिम्मेदार या उसमें सहभागी और उसका लाभ लेकर नौकरी हासिल करने वाला मान रही है? अब आगे इस दायरे में आए लोगों की ओर से अगर सरकार के फैसले का विरोध सामने आता है, तब उसे कैसे देखा जाएगा? यह अकेले झारखंड की समस्या नहीं है।

यह विचित्र विडंबना है कि देश भर में एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के अवसर धीरे–धीरे कम होते जा रहे हैं और दूसरी ओर इनके लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर अनियमितता के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर युवाओं और विद्यार्थियों के बीच असंतोष पैदा होता है, तो यह एक स्वाभाविक स्थिति है। जरूरत इस बात की है कि समय रहते ऐसी ठोस व्यवस्था बने, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने के साथ–साथ उसके लिए परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और शुचिता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो।

एक झाड़ू, कई मजरे और हजारों की आबादी

–अखिल कुमार यादव–

कई हजार की आबादी और एक सफाई कर्मचारीकृक्या इतने सीमित मानव संसाधन के सहारे किसी पूरी ग्राम पंचायत में नियमित और प्रभावी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सवाल आज केवल सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह बेहतर पंचायत प्रशासन, ग्रामीण जनस्वास्थ्य और स्वच्छ गांव की परिकल्पना से भी जुड़ गया है। इसी महत्वपूर्ण जनहित के विषय को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद में बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने नियम–115 के अंतर्गत सदन के समक्ष उठाया है। उन्होंने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति एवं तैनाती सुनिश्चित किए जाने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान उस व्यावहारिक समस्या की ओर आकर्षित किया है, जिसका सामना बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों को रोजाना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा सदन में रखे गए विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में वर्तमान समय में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की संख्या जनसंख्या की तुलना में अत्यंत कम है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में केवल एक ही सफाई कर्मचारी तैनात है और ऐसी स्थिति में पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियमित एवं प्रभावी साफ–सफाई सुनिश्चित करना संभव नहीं हो पाता। गांवों की भौगोलिक स्थिति को देखें तो एक ग्राम पंचायत के भीतर कई मजरे और बस्तियां होती हैं। कहीं पंचायत क्षेत्र काफी विस्तृत है तो कहीं आबादी अलग–अलग स्थानों पर फैली हुई है। ऐसे में एक ही कर्मचारी के जिम्मे पूरे पंचायत क्षेत्र की सफाई व्यवस्था होने पर उसके सामने व्यावहारिक कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। सफाई कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने, नालियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करने तथा अलग–अलग बस्तियों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित समय और संसाधनों में काम करना पड़ता है। परिणामस्वरूप कई बार नियमित सफाई का लक्ष्य पूरा करना कठिन हो जाता है और इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र स्वच्छता व्यवस्था पर दिखाई देता है।

विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने इसी समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और तैनाती को जनसंख्या के अनुपात से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या पर एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था लागू की जाए, जिससे अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त सफाई कर्मचारी उपलब्ध हो सकें और स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। इस मांग के पीछे मूल भावना यह है कि जिस ग्राम पंचायत की आबादी जितनी अधिक हो, वहां स्वच्छता संबंधी कार्यों का दायरा भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसलिए सफाई कर्मचारियों की संख्या तय करने में ग्राम पंचायतों की वास्तविक आबादी को प्रमुख आधार बनाया जाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में यदि छोटी और बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए लगभग समान मानव संसाधन उपलब्ध हो, तो बड़ी आबादी वाली पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि जनसंख्या आधारित व्यवस्था की मांग को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल के रूप में देखा जा सकता है।

दरअसल, गांव की स्वच्छता केवल सड़क या मुख्य मार्ग पर झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है। नालियों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, जलभराव वाले स्थानों की देखभाल, पंचायत भवन और अन्य सामुदायिक परिसरों के आसपास सफाई तथा गांव के सार्वजनिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। जब किसी बड़े ग्राम पंचायत क्षेत्र में केवल एक सफाई कर्मचारी उपलब्ध होता है तो उसके सामने काम का दायरा काफी बड़ा हो जाता है। यदि पंचायत में कई मजरे हों और उनकी दूरी एक–दूसरे से अधिक हो तो कर्मचारी के लिए प्रत्येक स्थान पर नियमित रूप से पहुंचना और वहां अपेक्षित स्वच्छता कार्य करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों के सामने भी कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सबसे पहले अपेक्षा उन्हीं से की जाती है, जबकि उपलब्ध मानव संसाधन सीमित होता है। सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से है। साफ–सुथरा वातावरण गांव की पहचान और बेहतर जीवन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। नियमित रूप से साफ होने वाली गलियां, स्वच्छ सार्वजनिक स्थल और व्यवस्थित नालियां ग्रामीणों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराती हैं। इसके विपरीत सफाई व्यवस्था कमजोर होने पर गंदगी, कचरे का जमाव और जलभराव जैसी समस्याएं ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता को केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक व्यवस्था के आधार के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अपने विषय के माध्यम से इस व्यापक समस्या को सदन के सामने रखते हुए यह भी रेखांकित किया कि सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण ग्राम प्रधानों को स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता व्यवस्था पर पड़ता है। यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर शासन और विकास की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से हैं। ग्रामीणों की रोजमर्रा की अनेक आवश्यकताएं पंचायत व्यवस्था से जुड़ी होती हैं और स्वच्छता उनमें प्रमुख है। ऐसे में पंचायतों को जिम्मेदारी देने के साथ–साथ उन्हें आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। हालांकि भविष्य में यदि जनसंख्या आधारित कोई व्यवस्था लागू की जाती है तो ग्राम पंचायतों की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना उपयोगी होगा। केवल जनसंख्या ही किसी पंचायत में स्वच्छता कार्यभार का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकती। किसी पंचायत में आबादी कम होने के बावजूद उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है, कई मजरे दूर–दूर स्थित हो सकते हैं या सार्वजनिक स्थलों और बस्तियों का फैलाव अधिक हो सकता है। वहीं कुछ ग्राम पंचायतों में आबादी अधिक होने के साथ–साथ क्षेत्र भी घना हो सकता है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम मानक निर्धारित करने के साथ क्षेत्रफल, मजरों की संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को भी आवश्यकता के अनुसार ध्यान में रखा जाए तो व्यवस्था और अधिक व्यावहारिक हो सकती है। इससे उन ग्राम पंचायतों को भी राहत मिल सकेगी जहां कम संसाधनों के बावजूद स्वच्छता का दायरा अपेक्षाकृत अधिक है।

इस पूरे विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केवल योजनाएं और लक्ष्य पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन भी जरूरी होता है। पंचायतों को स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपने के साथ यदि सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता जनसंख्या और कार्यभार के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है तो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों के सामने मौजूद व्यावहारिक कठिनाइयां भी कम हो सकती हैं और सफाई व्यवस्था को अधिक नियमित स्वरूप दिया जा सकता है। विधान परिषद में नियम–115 के तहत उठाए गए इस विषय की खास बात यह है कि यह किसी एक ग्राम पंचायत की समस्या नहीं, बल्कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर एक व्यापक नीति की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। एक ओर गांवों की आबादी बढ़ रही है, पंचायत क्षेत्रों में विकास गतिविधियां बढ़ रही हैं और ग्रामीणों की अपेक्षाएं भी बदल रही हैं, वहीं दूसरी ओर यदि स्वच्छता व्यवस्था के लिए उपलब्ध मानव संसाधन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता तो पंचायतों के सामने चुनौती बनी रह सकती है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और तैनाती के मौजूदा मानकों की समीक्षा समय की आवश्यकता के रूप में सामने आती है।

इस महत्वपूर्ण जनहित के विषय को माननीय सभापति द्वारा स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को संदर्भित किया गया है। अब इस मामले में सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाता है, इस पर ग्रामीण क्षेत्रों की नजर रहेगी। यदि सरकार ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने की दिशा में कोई प्रभावी व्यवस्था बनाती है तो इसका सीधा लाभ बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मिल सकता है। इससे पंचायत स्तर पर स्वच्छता कार्यों को अधिक व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा और ग्राम प्रधानों पर मौजूद व्यावहारिक दबाव भी कम हो सकता है।

विधान परिषद में सुभाष यदुवंश द्वारा उठाया गया यह मुद्दा अंततः एक बुनियादी सवाल खड़ा करता हैकृजब ग्राम पंचायतों की आबादी और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तो क्या स्वच्छता व्यवस्था के लिए मानव संसाधन भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ना चाहिए? यदि एक हजार की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी का मानक लागू करने के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अतिरिक्त आवश्यकता का भी आकलन किया जाए तो ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है। यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है कि यह केवल सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग नहीं, बल्कि गांवों को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर जीवन–पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए पंचायत व्यवस्था को आवश्यक संसाधनों से मजबूत करने का सवाल है। अब देखना होगा कि सदन में उठी इस आवाज को सरकार किस रूप में आगे बढ़ाती है और प्रदेश की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को जनसंख्या तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

शिक्षा के मंदिर में भरोसे का संकट

– डॉ. प्रियंका सौरभ–

स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते। वे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार, अनुशासन और सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। माता–पिता जब अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि शिक्षक उनके बच्चे को ज्ञान देने के साथ–साथ उसकी सुरक्षा और गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इसी भरोसे की आड़ में किसी शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी, अनुचित व्यवहार या यौन उत्पीड़न की घटना सामने आती है, तो चोट केवल एक बच्ची को नहीं लगतीय पूरा शैक्षणिक तंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है।

विद्यालयों में छात्राओं के साथ शिक्षकों द्वारा अनुचित व्यवहार की खबरें समय–समय पर सामने आती रही हैं। हर घटना की प्रकृति और तथ्य अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन शिकायत सामने आने के बाद उसे दबा देना, बच्ची को चुप कराने की कोशिश करना या संस्थान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले को टालना उससे भी अधिक गंभीर समस्या है। किसी भी विद्यालय की प्रतिष्ठा बच्चों की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती।

शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता मूलतः विश्वास पर आधारित होता है। एक शिक्षक के पास ज्ञान के साथ–साथ अधिकार भी होता है। छात्र शिक्षक की बात को स्वाभाविक रूप से महत्व देता है और कई बार उसे अपने माता–पिता के बाद सबसे विश्वसनीय वयस्क मानता है। यही कारण है कि यदि कोई शिक्षक इस विश्वास और अधिकार का दुरुपयोग करता है तो बच्ची के लिए विरोध करना आसान नहीं होता। किशोरावस्था में बच्चे कई बार यह समझ ही नहीं पाते कि किसी वयस्क का व्यवहार सामान्य है या अनुचित। डर, शर्म, सामाजिक दबाव, परीक्षा और भविष्य को लेकर चिंता तथा यह भय कि उनकी बात पर विश्वास किया जाएगा या नहींकृउन्हें शिकायत करने से रोक सकते हैं। इसलिए केवल यह पूछना कि "बच्ची ने पहले शिकायत क्यों नहीं की?" पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि क्या विद्यालय ने ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाया है जिसमें बच्ची बिना डर अपनी बात कह सके?

ऐसे मामलों में सबसे खतरनाक तत्व अक्सर चुप्पी होती है। कई परिवार सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं करना चाहते। कुछ लोग यह सोचकर मामले को दबा देते हैं कि बच्ची की पढ़ाई प्रभावित होगी। विद्यालय प्रशासन भी कभी–कभी संस्थान की छवि खराब होने की चिंता में शिकायत को आंतरिक स्तर पर समाप्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसी चुप्पी गलत व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है। यदि किसी बच्ची की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो उसे यह संदेश मिल सकता है कि उसकी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण संस्थान की प्रतिष्ठा है। यह संदेश किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक है।

इसलिए अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को यह समझना होगा कि शिकायत करना बदनामी नहीं, बल्कि सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कानून तथा संस्थागत नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन की भूमिका केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था पहले से मजबूत होनी चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान उचित सत्यापन, स्पष्ट आचार–संहिता, विद्यार्थियों के साथ व्यवहार के नियम तथा शिकायत की सुरक्षित व्यवस्था आवश्यक है।

विद्यालयों में बच्चों को यह बताया जाना चाहिए कि अच्छा और अनुचित स्पर्श क्या होता है, असहज व्यवहार की पहचान कैसे करें और किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी कैसे दें। यह शिक्षा केवल छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। स्कूलों में ऐसी शिकायत व्यवस्था होनी चाहिए जहां बच्चा बिना भय के अपनी बात रख सके। महिला शिक्षक, प्रशिक्षित काउंसलर या अन्य विश्वसनीय वयस्क की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है।

भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए च्वबेव ।बज, 2012 मौजूद है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामलों में यह कानून महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। विद्यालयों और उनके कर्मचारियों को इस कानून की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है। किसी गंभीर शिकायत को केवल "विद्यालय का आंतरिक मामला" मानकर दबा देना उचित नहीं है। मामले की प्रकृति के अनुसार सक्षम अधिकारियों को सूचना और सहयोग देना आवश्यक हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल आरोपी को दंडित करना नहीं, बल्कि पीड़ित बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना भी है।

समाज में आज भी कई बार ऐसी घटनाओं के बाद सवाल बच्ची के व्यवहार, कपड़े, समय, दोस्ती या सोशल मीडिया गतिविधियों पर उठाए जाते हैं। यह सोच गलत और नुकसानदायक है। किसी बच्ची का पहनावा, उसकी बातचीत या उसका किसी शिक्षक पर विश्वास किसी वयस्क को अनुचित व्यवहार का अधिकार नहीं देता। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो अपनी स्थिति, उम्र और अधिकार का दुरुपयोग करता है। बच्चियों को सुरक्षा के नाम पर डराने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास देना होगा। उन्हें यह भरोसा मिलना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें असहज करता है तो वे बिना शर्म और भय के अपनी बात कह सकती हैं।

अधिकांश शिक्षक पूरी ईमानदारी और समर्पण से बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इसलिए कुछ लोगों के कथित या सिद्ध गलत आचरण का दाग पूरे शिक्षक समुदाय पर लगाना उचित नहीं है। लेकिन इसी कारण शिक्षकों के पेशेवर आचरण की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। शिक्षक के पास बच्चों के साथ लगातार संपर्क होता है। इसलिए उसे सीमाओं और पेशेवर मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत संदेश, अनुचित टिप्पणी, अनावश्यक शारीरिक संपर्क या एकांत में बुलाने जैसी स्थितियों को लेकर विद्यालयों में स्पष्ट नियम होने चाहिए। शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें सम्मान, समानता और सुरक्षा की भावना दिखाई दे।

छात्रों का आन्दोलन और तंत्र

–मनोज सिंह–

झारखंड में जे पी एस सी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं की धाधली और भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे आंदोलन में तमाम छात्रों को तकलीफों का सामना भूख हड़ताल , धूप और बारिश की परेशानी तथा लाठीचार्ज और आंसू गैस, वाटर कैनन के दौर से गुजर कर कई दिनों की कठिन तपस्या के बाद सीआईडी की जांच के लिए झारखंड सरकार को ना चाहते हुए आंदोलनकारी छात्रों की मांगों को मनाना पड़ा इस कदम से जहां एक तरफ भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने वाले छात्रों को न्याय की उम्मीद जगी वही आम जनमानस को भी सुकून मिला भ्रष्टाचार के मामले पर निष्पक्ष जांच होकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले अच्छी बात है

झारखंड सरकार पहले तो छात्रों की जायज मांग को भी नहीं मान रही थी ऐसा तानाशाही सभी सरकारें करती हैं इसका उदाहरण दिल्ली के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और निष्पक्ष जांच केंद्र सरकार ने तब माना जब पानी उनके सर के ऊपर बहाने की स्थिति आ गई सरकारे जब जन आंदोलन के दबाव में आती हैं तो जायज के साथ नाजायज मांगों को भी मान लेती है इसका उदाहरण तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा पूर्व में नियुक्त छात्रों की नियुक्तियों को बिना निष्पक्ष जांच करायें सभी की नियुक्तियों को झारखंड सरकार ने निरस्त कर दिया यह कहां तक उचित है ? इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता की झारखंड में जेपीएससी की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धाधली हुआ लेकिन इसका यह मतलब नहीं है की सभी छात्र भ्रष्टाचार के ही रास्ते महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं

झारखंड में बहुत से प्रतिभावान छात्र जो किसी अन्य साधारण पद पर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके अपना दायित्व निभा रहे थे साथ ही देश की अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए अपनी प्रतिभा के बल पर एक तरफ सरकारी सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे या प्राइवेट अपना काम कर रहे थे साथ में कठिन परिश्रम करके अपने व्यस्ततम समय में तैयारी भी कर रहे थे जिसका प्रतिफल बहुत से छात्रों को मिला और वह कठिन परीक्षाओं को पास करके महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे वही कुछ छात्र भ्रष्टाचारियो की नाव में बैठकर उस पद तक पहुंच गए ऐसे में सभी छात्रों की नियुक्तियों को रद्द कर देना कहां तक उचित है ? झारखंड में भ्रष्टाचार के चलते यदि महत्वपूर्ण पदों में शुद्ध दूध में पानी की मिलावट हो गई है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन पूरे दूध को ही जमीन पर फेंक दिया जाए यह कहां तक उचित है ?

प्राप्त जानकारी के आधार पर 2250 छात्र जिनकी नियुक्तियां रद्द हो गई हैं उनमें से 342 लोगों ने हाई कोर्ट में न्याय के लिए याचिका दाखिल किया है । वर्तमान समय में नियुक्तियों को रद्द करने के कारण होनहार छात्रों के भविष्य को अगर कोई बचा सकता है तो वह हाई कोर्ट है हाई कोर्ट को अपनी निगरानी में पुनः केवल उन्हीं छात्रों की कड़े देखरेख में परीक्षा कराई जाए जो पहले से प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त थे, ऐसे में भ्रष्टाचार के रास्ते आए हुए आरोग्य छात्र उस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे यह उसी तरह होगा यदि शुद्ध दूध में पानी की मिलावट हो गई है तो उसको पुनः जांच के आंच की कसौटी पर कसकर उन योग्य छात्रों और छात्राओं को उनका पद मिलना चाहिए जो परिश्रम से उसे पद को पाए हैं

राजनीतिक दलों और राजनेताओं से युवाओं के भविष्य की उम्मीद समाप्त होती जा रही है क्योंकि अगर हमारे देश के राजनीतिक दलों और राजनेताओं में राष्ट्र के युवाओं के प्रति लगाव होता तो आज प्राइमरी विद्यालय की दुर्दशा और देश के होनहार , प्रतिभावान छात्रों के हितों पर उनकी आंखों के सामने डंका ना डाला जाता और घंटों सदाचार की बातें करने वाले मौन ना रहते।

बिहार और यूपी की सीमा सील, पुलिस ने आने–जाने से रोका तो लोग बोले- पाकिस्तान बार्डर है क्या

संवाददाता–कुशीनगर। पश्चिम चंपारण के पिपरासी में बिहार–यूपी बॉर्डर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सील कर दिया है। दोनों तरफ से लोगों एवं वाहनों के आवागमन पर अगले आदेश तक रोजाना 12 घंटे की रोक लगा दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भड़के लोगों ने इसकी तुलना पाकिस्तान बॉर्डर से कर दी है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी में यूपी बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर पुलिस ने मंझरिया पंचायत से यूपी जाने वाले मुख्य मार्ग कतकी–नरकहवा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी है। दोनों तरफ के आवागमन पर 12 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी व्यक्ति को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है। सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी वाहनचालकों को वापस लौटा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसकी तुलना पाकिस्तान बॉर्डर से करने लगे हैं। बॉर्डर सील होने के चलते लोगों को कई किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर दूसरे मार्ग से आना–जाना पड़ रहा है। कई लोग खेतों और पगडंडियों के सहारे से आवागमन भी करने लगे हैं। दोनों ही राज्यों के लोगों को आने–जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इससे आम

जनता में खासा आक्रोश है।

बिहार–यूपी बॉर्डर पर बंदी का सबसे अधिक असर स्कूली छात्र, दैनिक मजदूरी करने वाले और दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है। मॉर्निंग स्कूल का टाइम होने के कारण बच्चे सुबह 6 से साढ़े 6 बजे स्कूल जाते हैं। दुकानदार और दैनिक मजदूर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुबह ही निकलते हैं। इस दौरान बार्डर सील रह रहा है। वहीं, दोनों राज्यों की सीमा पर यूपी पुलिस के कर्मी तैनात हैं। वे लोगों रात 8 से सुबह 8 बजे तक लोगों को आने–जाने से रोक रहे हैं। गुरुवार सुबह जब बिहार की तरफ से स्कूली छात्र और दुकानदार यूपी जाने लगे और उत्तर प्रदेश के किसान और मजदूर बिहार आने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे, तो यूपी पुलिस ने सभी को लौटा दिया। इस संबंध में जब पुलिस वालों से पूछा गया तो उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीमा बंद करने की बात कही।

सुबह 8 बजे बॉर्डर खोलते समय सीमा पर तैनात यूपी पुलिस के जवान आवागमन करने वाले लोगों को प्रतिबंध की अवधि में आवागमन ना करने की हिदायत दे रहे हैं। वही लोगों को अति आवश्यक कार्य होने और काफी मिन्नतें करने के बाद भी यूपी पुलिस द्वारा रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच आवागमन नहीं करने दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों द्वारा स्कूली छात्रों और अन्य राहगीरों से बदसलूकी की जा रही है। इस पर दोनों राज्यों के लोगों में आक्रोश है। यूपी निवासी शैलेश यदुवंशी, रामकृपाल यादव, मैनेजर कुशवाहा एवं बिहार निवासी संघर्ष कुशवाहा, शेषनाथ मद्धेशिया, दिनेश पांडेय, हरिओम निषाद आदि ने बताया कि यूपी पुलिस इस तरह बॉर्डर सील कर रही है और लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, जैसे ये लोग अपने देश के राज्य का बॉर्डर नहीं बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पार कर रहे हों। लोगों ने मांग की है कि अगर जल्द इस पर प्रशासन आवागमन सुगम नहीं कराती तो वे धरना–प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पिपरासी थानाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बॉर्डर क्षेत्र के थानाध्यक्ष से बात कर आवागमन सामान्य करने की पहल की जा रही है। शुक्रवार से स्थिति सामान्य होने की संभावना है।

गोंडा से पहली 'अवध महाशक्ति' फ्रेट ट्रेन का सफल संचालन

संवाददाता–गोण्डा। पूर्वोत्तर रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गुरुवार दोपहर 1.50 बजे गोंडा रेलवे स्टेशन से तीन मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार की गई विशेष फ्रेट ट्रेन श्अवधा महाशक्तिश का पहला सफल संचालन किया गया।

यह पूर्वोत्तर रेलवे के इतिहास में अपनी तरह की पहली भारी–भरकम मालगाड़ी है। इस ट्रेन में कुल 129 वैगन और 3 इंजन एक साथ लगाए गए थे। इसे गोण्डा के आरओएच डिपो में तकनीकी रूप से तैयार और संयोजित किया गया था। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक (समन्वय) डॉ. शिल्पी कन्नौजिया के नेतृत्व में इसे गुरुवार दोपहर 01रू50 बजे गोण्डा जंक्शन स्टेशन से मुरादाबाद मण्डल के लिए रवाना किया गया।

मण्डल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने गुरुवार शाम 5रू20 बजे इसके सफल संचालन की घोषणा की है। यह संचालन उनके ही नेतृत्व में हुआ। ट्रेन सीतापुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ी। 'अवध महाशक्ति' के संचालन से कई प्रमुख लाभ होंगे। तीन अलग–अलग मालगाड़ियों को एक साथ चलाने से डीजल व ईंधन की भारी बचत होगी और परिचालन समय भी घटेगा।

एक लंबी ट्रेन चलाने से रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जिससे अन्य यात्री और मालगाड़ियों के संचालन के लिए लाइन जल्दी खाली मिल सकेगी। एक ही फेरे में रिकॉर्ड माल ढुलाई संभव होने से रेलवे की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मण्डल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने इस उपलब्धि पर परिचालन और यांत्रिक टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय और उत्कृष्ट प्रबंधन का परिणाम है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटी है और व्यापारियों व ग्राहकों को तेज व किफायती माल परिवहन की सुविधा मिलेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि रेलवे का यह नवाचार भविष्य में माल ढुलाई व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और तीव्र गति प्रदान करेगा। इस ट्रेन के निर्माण और विभिन्न तकनीकों के इस्तेमाल पर गोंडा में काफी लंबे समय से काम चल रहा था, जो अब सफलतापूर्वक सही साबित हो गया है।

कथित एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

संवाददाता–श्रावस्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के थाना क्षेत्र इकौना में किए गए छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन के एनकाउंटर की घटना पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टा एफआईआर में दिया गया घटनाक्रम सही नहीं प्रतीत होता है और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से गहन जांच जरूरी है। घटना क्रम इस तरह से है घटना मई 2025 का है। 9 मई को इकौना थाने में 7 साल की बच्ची को ले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। शुरुआती एफआईआर में शफीक नाम के आरोपी और उसके दो अज्ञात साथियों का जिक्र किया गया था। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन का नाम सामने आया। 12 मई 2025 को तत्कालीन थाना प्रभारी इकौना अश्विनी कुमार दुबे ने दूसरी एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस का दावा था कि अलाउद्दीन नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। अंधरपुरवा पुल के पास पुलिस और स्वाट टीम ने उसे घेर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी ने अपनी 9 एमएम सर्विस पिस्टल से दो गोलियां चलाईं, जो आरोपी के दोनों पैरों में लगीं। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद करने का भी दावा किया गया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि एफआईआर के मुताबिक 13 पुलिसकर्मी एक ही सरकारी वाहन में कैसे सवार थे और फिर वही टीम तीन हिस्सों में बंटकर तीन अलग रास्तों पर कैसे चली गई? बाद में स्वाट समेत कुल 23 पुलिसकर्मी मौके पर बताए गए, लेकिन एफआईआर में दूसरे वाहन का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला।

बैडमिंटन प्रतियोगिता मे विजयी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर किया गया प्रोत्साहित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। माध्यमिक विद्यालयी जनपदीय बैडमिंटन प्रतियोगिता गुरुवार को श्रीकृष्ण पाण्डेय इंटर कॉलेज बस्ती में आयोजित की गयी। प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग एकल में श्रीकृष्ण पाण्डेय इंटर कॉलेज के सुमित ने राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती के दीपक को हराकर खिताब अपने नाम किया, वहीं सीनियर एकल वर्ग में भी श्रीकृष्ण पाण्डेय इंटर कॉलेज के अभिषेक राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती के सूरज को पराजित कर विजेता बने।

जूनियर डबल वर्ग प्रतियोगिता में श्रीकृष्ण पाण्डेय इंटर कालेज के साजिद और अशफाक की जोड़ी ने राजकीय इंटर कॉलेज के शिवम व सर्वेश की जोड़ी को हरा दिया। सीनियर डबल वर्ग में श्रीकृष्ण पाण्डेय इंटर कॉलेज बस्ती के अभिषेक और आंशिक की जोड़ी राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती के सैफ व रिषभ को हराकर विजेता बनी।

बालिका एकल वर्ग में श्रीकृष्ण पाण्डेय की अनुपम कुमारी विजेता रहीं।गन्ना विकास इंटर कालेज मुण्डेरवा की अमृता उपविजेता बनीं।

बालिका डबल वर्ग में मुण्डेरवा की खुशी व प्रतिभा की जोड़ी ने श्रीकृष्ण पाण्डेय की खुशी और आंशी को हराकर खिताब अपने नाम किया।

प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य योगेश शुक्ल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। सभी विजयी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के चौमुखी विकास के लिए बेहद आवश्यक है। सभी बच्चों को जीत हार को गले लगाते हुए अगली प्रतियोगिता के लिए और मनोयोग से तैयारी करनी चाहिए। यही सच्ची खेल भावना है। निर्णायक खेल शिक्षक माता प्रसाद त्रिपाठी व प्रभाकर रंजन ओझा रहे। सुनीता पाण्डेय, देवेन्द्र तिवारी,अजय कुमार, अमित यादव, संतोष पाण्डेय,अशोक कुमार पाण्डेय, कुंवर विकास सिंह, राजेश मणि त्रिपाठी,अमित त्रिपाठी अरविन्द पाण्डेय,रमेश गुप्ता ने प्रतियोगिता के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई।

कांग्रेस वही काम करती है जो देश के बहुसंख्यक को खराब लगता है –बृजभूषण

संवाददाता–गोण्डा। दिल्ली से लौटने के बाद बृहस्पतिवार को कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नवाबगंज के विश्नोहरपुर स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता ऐसे काम करते हैं, जो देश के बहुसंख्यक समाज को बुरा लगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि यदि 1937 की बात की जा रही है तो उसके बाद 1947 में देश का विभाजन किस आधार पर हुआ, इस पर भी बात होनी चाहिए।

कहा कि कांग्रेस का रास्ता स्पष्ट नहीं है और वह ऐसे मुद्दों पर रुख अपनाती है, जिससे बहुसंख्यक समाज को ठेस पहुंचती है। कांग्रेस ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि पार्टी 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो पद गाने की अपनी परंपरा पर कायम रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा तय किए गए रास्ते पर चलेगी, न कि केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल के मुताबिक। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के प्रति नफरत की वजह से श्वंदे मातरमश के पूरे पाठ को अनिवार्य किया गया है।

कांग्रेस का यह रुख कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) के उस प्रस्ताव के एक दिन बाद सामने आया, जिसमें 1937 में लिए गए फैसले को दोहराया गया है। उस समय ब्ॅब् ने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में श्वंदे मातरमश के सिर्फ पहले दो पद ही गाए जाएंगे। यह फैसला ऐसे समय में चर्चा में है, जब केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रगीत के पूर्ण गान को आधिकारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा बनाया है।

बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे भाजपा विधायक: 200 से ज्यादा पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री

संवाददाता–गोण्डा। करनैलगंज से भाजपा विधायक अजय कुमार सिंह ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित नकहरा और गौरा सिंघनापुर गांवों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री वितरित की। विधायक ने 200 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इसमें जरूरी सामान के साथ टॉर्च, मच्छरदानी और छाता भी शामिल था।

विधायक अजय सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 24 घंटे बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच मौजूद रहें। उन्होंने पीड़ितों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने को कहा। विधायक ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही सामने आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विधायक ने कहा कि जिन ग्रामीणों की जमीन नदी में कट गई है, उनका सर्वे कराया जाए और नियमानुसार आर्थिक मुआवजा दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के लिए समय–समय पर लंच पैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही भोजन की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न करने को कहा।

ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को भी विधायक के सामने रखा। इस पर अजय सिंह ने आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सौर ऊर्जा की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बिजली की समस्या से ग्रामीणों को राहत मिल सके।

विधायक ने कहा कि नेपाल से घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने के कारण तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और गांव प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन को स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अजय सिंह ने कहा, "हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।" उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के अधिकारी लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। पीड़ितों को लंच पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

विधायक ने बताया कि एसडीएम तरबगंज समेत जिला स्तरीय अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार की पूरी टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है।

यूनियन बैंक की शाखा पर किसानों से वसूली में अनियमितता का आरोप, जांच की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रदेश सचिव रामकुमार पटेल एडवोकेट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बभनान शाखा के प्रबंधक पर किसानों के केसीसी और नॉनसेक्योर्ड लोन की वसूली में कथित अनियमितता और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संगठन की ओर से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

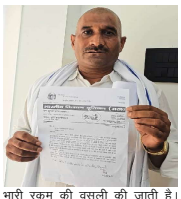

भारतीय किसान यूनियन (अ.रा.) के प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम कुमार पटेल की ओर से दिए गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि शाखा प्रबंधक द्वारा किसानों के केसीसी व नॉनसेक्योर्ड लोन को बिना पर्याप्त सूचना के एनपीए किए जाने तथा ऑनलाइन सेटेलमेंट के दौरान

भारी रकम की वसूली की जाती है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ग्राहकों से न्यूनतम धनराशि जमा कराकर प्राइवेट रिकवरी एजेंटों के माध्यम से अधिक रकम की वसूली की जाती है। पत्र के अनुसार, किसानों के पैसों की कथित बंदरबांट भी की जाती है। साथ ही फर्जी रिकवरी एजेंटों के जरिए ग्राहकों के घर भेजकर नॉनसेक्योर्ड और केसीसी ऋण में नीलामी व कुर्की की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राहकों से पूरी रकम लेने के बाद बैंक में कथित रूप से केवल आधी रकम जमा की जाती है और शाखा प्रबंधक तथा फर्जी रिकवरी एजेंटों की मिलीभगत से ग्राहकों के धन का बंदरबांट किया जाता है, जो न्यायसंगत नहीं है।

प्रदेश सचिव रामकुमार पटेल एडवोकेट ने ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराने, केसीसी और नॉनसेक्योर्ड लोन में आरबीआई के नियमों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित शाखा प्रबंधक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि कार्रवाई होने से किसानों के कथित शोषण पर रोक लगेगी और उन्हें उचित न्याय मिल सकेगा।

वकीलों को हड़ताल की सूची भेजने के निर्देश पर भड़का आक्रोश

संवाददाता–गोण्डा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों और जिलाधिकारियों को जारी उस पत्र को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है, जिसमें क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले बार एसोसिएशनों अथवा अधिवक्ता संघों द्वारा की जा रही अथवा प्रस्तावित किसी भी प्रकार की हड़ताल की सूचना तत्काल बार काउंसिल कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी ने कड़ा विरोध जताया है। कहा कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं का लोकतांत्रिक मंच है और अपने वैधानिक एवं पेशागत हितों को लेकर सामूहिक निर्णय लेना उसका अधिकार है।

बार काउंसिल के सचिव की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रम में संबंधित बार एसोसिएशनध्अधिवक्ता संघों द्वारा हड़ताल किए जाने या हड़ताल का आह्वान किए जाने की स्थिति में उनकी सूची तत्काल बार काउंसिल को उपलब्ध कराई जाए, ताकि हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम कार्यवाही तथा बार काउंसिल के स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। डीबीए अध्यक्ष रवि चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े गंभीर विषयों, अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से संबंधित मामलों में यदि शांतिपूर्ण विरोध या हड़ताल का सहारा लिया जाता है तो उसे केवल कार्रवाई की चेतावनी के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि बार कौंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा सदस्य का मोह है तो उन्हें बार कौंसिल आफ इंडिया के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिससे अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित रहे।

दहेज उत्पीड़न के मामले में भाई–बहन को धमकी, सुरक्षा की मांग

डीआईजी से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दहेज उत्पीड़न और पांच वर्षीय बच्चे को अपने पास रखने के आरोप को लेकर अभिषेक मिश्रा ने पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को शिकायती पत्र देकर अपनी बहन शालिनी पाण्डेय और खुद की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तथा उसके साथ मारपीट भी की गई। मामले में आरोपी पक्ष की ओर से लगातार धमकी मिलने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायती पत्र के मुताबिक, अभिषेक मिश्रा ने बताया कि उनकी बहन शालिनी पाण्डेय का विवाह करीब नौ वर्ष पूर्व बस्ती जनपद के मुण्डेरवा थाना क्षेत्र निवासी अखिलेश पांडेय पुत्र लक्ष्मीशंकर पाण्डेय के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही शालिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। शिकायतकर्ता का कहना है कि 14 अगस्त 2026 को उनकी बहन को बंधक बनाकर कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से मारपीट की जा रही थी। सूचना मिलने पर अभिषेक मिश्रा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह अपनी बहन की जान बचाकर उसे संतकबीरनगर जनपद के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अपने गांव पड़रिया ले आए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान अखिलेश पाण्डेय ने उनके पांच वर्षीय भांजे शनि को अपने पास रख लिया और उसे वापस नहीं भेजा।

अभिषेक मिश्रा का आरोप है कि घटना के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि उनके या उनकी बहन के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर इसके लिए अखिलेश पाण्डेय और उनके सहयोगी जिम्मेदार होंगे। शिकायतकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक से पूरे मामले की जांच कर आरोपी अखिलेश पाण्डेय के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने तथा उन्हें और उनकी बहन शालिनी पाण्डेय को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। अभिषेक मिश्रा के मुताबिक, पुलिस उप महानिरीक्षक की ओर से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

48 साल से अटके राजदरबार जमीन मामले में फैसला: 1503 एकड़ भूमि सरकार में निहित, भूमिहीनों को पट्टे और विकास कार्यों में होगी इस्तेमाल

संवाददाता–कुशीनगर। पडरौना राजघराने की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिवंगत रानी रेवती देवी की हाईकोर्ट में दाखिल वसीयत की प्रति सामने आने के बाद सबकी नजरें टिक गई हैं। ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई वसीयत की प्रति में राज परिवार की संपत्तियों और उनके उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें दर्ज हैं। रानी रेवती देवी की कोई संतान नहीं थी। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली रानी का सनातन धर्म के प्रति गहरा जुड़ाव बताया जाता है। उन्होंने अपनी संपत्तियों की देखरेख के लिए ट्रस्ट का गठन करते हुए वसीयत तैयार कराई थी। बताया गया है कि रानी रेवती देवी की वसीयत 14 अप्रैल 1984 को तैयार हुई थी। इसमें उन्होंने अपनी पूरी चल–अचल संपत्ति का एक्जीक्यूटर अपने मैनेजर जय भारत मणि आचार्य दीक्षित को नियुक्त किया था। बाद में यह वसीयत हाईकोर्ट में दाखिल की गई। रानी का निधन मई 1984 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) स्थित उनके एनके मुखर्जी रोड, सिविल लाइंस स्थित आवास पर हुआ था। रानी रेवती की जमीन सिलिंग में निकलने का फैसला बुधवार आने के बाद रानी रेवती के राजघराने की कहानी शहरवासियों के बीच फिर एक बार चर्चा में आ गई।

वसीयत के पैरा नौ में रानी ने पडरौना स्थित अपने निवास आनंद भवन को सनातन धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने की इच्छा जताई थी। इसमें वेदों की विभिन्न शाखाओं की परंपरा को संरक्षित करने, संस्कृत भाषा की उच्च शिक्षा देने और शोध पीठ के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। रानी की वसीयत में संपत्तियों के प्रबंधन और उनके उपयोग को लेकर भी प्रावधान किए गए थे। ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि वसीयत के प्रावधानों को समझे बिना राजघराने की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती। बताया गया कि रानी की मृत्यु से पहले 19 जुलाई 1988 को तत्कालीन विधिक परामर्शी (एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल) को न्यास की संपत्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद से न्यायिक आदेश के क्रम में जिलाधिकारी कुशीनगर को इन संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया है। इसके बावजूद ट्रस्ट से जुड़े लोगों का आरोप है कि राजघराने की ज्यादातर जमीनों पर भू–माफिया ने कब्जा कर रखा है। बची हुई जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है। लंबे समय से जिले में जमे चकबंदी और राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों की भूमिका संलिप्त रही। कोर्ट का फैसला आने के बाद सिलिंग में जमीन निकल गई।

पडरौना राजदरबार की विवादित जमीनों की खरीद–फरोख्त का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। न्यायालय के रोक के आदेश और डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के बावजूद जमीनों की बिक्री किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया गया है। सूत्रों के अनुसार, रानी रेवती देवी रवि प्रताप न्यास की मुख्य ट्रस्टी डॉ. मधु दीक्षित की ओर से दाखिल वाद में आदित्य प्रताप नारायण सिंह समेत कुल 195 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। इनमें विवादित जमीनों के रिसीवर के तौर पर नियुक्त डीएम कुशीनगर भी शामिल किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और मुकदमे की सुनवाई तेज हुई।

पडरौना राजदरबार की जमीनों का बड़ा हिस्सा जिले के कई तहसील क्षेत्रों में फैला हुआ है। खासकर पडरौना और खड्डा तहसील क्षेत्र में इन जमीनों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सीलिंग से जुड़े मामलों के बीच चकबंदी विभाग पर भी नियमों के विपरीत दूसरे लोगों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। राजदरबार से जुड़े एक पक्ष रानी रेवती देवी रवि प्रताप न्यास की ओर से इन जमीनों पर अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही थी।

अवमानना वाद दाखिल करने वाले हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य ट्रस्टी डॉ. मधु दीक्षित की ओर से आदित्य प्रताप नारायण सिंह समेत 195 लोगों को वाद में पक्षकार बनाया था।ट्रस्टी मधु दीक्षित काठमांडू रहती है। वहां पर वह डाक्टर है। मधु दीक्षित के मैनेजर विजय अधिकारी ने बताया कि इन जमीनों का रिसीवर नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद जमीनों की बिक्री किया गया। इसी वजह से डीएम को भी वाद में पक्षकार बनाया गया था। इसके अलावा जमीनों की खरीद–बिक्री से जुड़े अन्य लोगों को भी पक्षकार बनाया गया था। डीएम के हाईकोर्ट में पक्षकार बनाने के बाद मुकदमे की सुनवाई तेज हुई और रानी रेवती देवी की जमीन को सिलिंग घोषित किया गया। दोनों पक्षों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान न्यायालय ने कई आदेश जारी किए हैं। बताया गया है कि न्यायालय ने विवादित जमीनों की खरीद–बिक्री पर रोक लगा रखी है। साथ ही न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी कुशीनगर को जमीनों का रिसीवर नियुक्त कर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप है कि न्यायालय के आदेश और रिसीवरशिप के बावजूद विवादित जमीनों की खरीद–फरोख्त जारी रही। इसी को आधार बनाकर अवमानना वाद दाखिल किया गया है।

रेडी-अन्ना पोर्टल से ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार

संवाददाता–गोरखपुर। गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। शाहपुर पुलिस और साइबर टीम ने "रेडी अन्ना" नामक अवैध गेमिंग पोर्टल के जरिए सट्टा खिलाकर विभिन्न बैंकों के म्यूल खातों से पैसों का लेन–देन करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी देवरिया, मुजफ्फरनगर, सिवान के रहने वाले हैं। शाहपुर में किराए के मकान में ठिकाना बनाया था। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि सूचना के आधार पर गुरुवार सुबह शाहपुर इलाके के सेमरा नंबर स्थित पानी की टंकी के पास स्थित मकान से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि यहां 6 माह से आरोपी किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी "रेडी अन्ना" वेबसाइट का पैनल खरीदकर उसकी ब्रांच चलाते थे। ये लोग भोले–भाले लोगों को सट्टा खिलाने के लालच में फंसाते थे। डिपॉजिट–विड्रॉल के लिए अलग–अलग लोगों के नाम से खुलवाए गए फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रोजाना लाखों रुपये का लेन–देन होता था और पैसा आने के बाद उसे आपस में बांट लिया जाता था।

आरोपियों की पहचान देवरिया बनकटा थाना क्षेत्र के नितीश सिंह, श्रीरामपुर थाना के बंगरुआ का अभय कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर थाना शाहपुर अरसौली का वजीद चौधरी, साहिल चौधरी और बिहार सिवान के नौतन थाना क्षेत्र के नारायनपुर के मुन्ना कुमार के रूप में हुई। इस गैंग के सरगना संजीव सिंह, नितिश प्रताप सिंह, सुनीश कुमार सिंह समेत अज्ञात की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपी के पकड़े जाने के बाद इस गिरोह के और भी अपराध सामने आएंगे। पुलिस ने मौके से 23 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 मिनी लैपटॉप, 3 टेबलेट, 11 एटीएम कार्ड, 16 बैंक पासबुक, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस, राउटर, पावर बैंक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। सभी सामान को जब्त कर लिया गया है। शाहपुर थानाध्यक्ष अंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद थाना शाहपुर में सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से जोड़कर जांच कर रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में शाहपुर थाना प्रभारी अंजय सिंह, साइबर कमांडो उपेन्द्र कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र पाण्डेय, सत्यम सिंह, चन्द्रभान सिंह, सुदीप सिंह समेत शाहपुर थाने की टीम शामिल रही।

ट्रक की चपेट आने से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत

संवाददाता–संतकबीरनगर। लोहरैया के संठी गांव से रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार तीन लोगों को बृहस्पतिवार सुबह रामजानकी मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 32 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला के शरीर के दो हिस्से हो गए।

बाइक चला रहे 16 वर्षीय किशोर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इसके साथ ही घायलों को उपचार के लिए सीएससी हैंसर बाजार भिजवाया।

विज्ञापन जानकारी के अनुसार संठी गांव निवासी 32 वर्षीय रीता देवी पत्नी श्रीचंद यादव, सुधा देवी पत्नी राजेश और 16 वर्षीय अंश पुत्र राजेश एक ही बाइक से सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बनकटी गांव में रिश्तेदारी में जा रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 6:14 बजे तीनों संठी गांव से निकलकर लोहरैया पुलिस चौकी के पास रामजानकी मार्ग से सिकरीगंज की ओर मुड़े। इसी दौरान सिकरीगंज की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक चला रहे अंश और सुधा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

सूचना मिलते ही टांडा पुलिस चौकी प्रभारी वीर बहादुर यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली भेजा गया। दुर्घटना में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही मृतका के परिजन, रिश्तेदार और संठी गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण लोहरैया पहुंच गए। रीता देवी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल था।

ग्रामीणों ने बताया कि रीता देवी के दो पुत्र प्रिंस यादव (8) और कार्तिक यादव (6) हैं। पति श्रीचंद यादव दूसरे प्रदेश में रहकर नौकरी करते हैं। मां की मौत के बाद दोनों मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया।

पुलिस के अनुसार फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

धारदार हथियार से हमला फिर पैर में बिजली के तार लपेटकर छोड़ा करंट, मौत

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। मालीपुर के तेंदुआ दियरा गांव में बृहस्पतिवार सुबह 45 वर्षीय अजय कुमार उर्फ गब्बर शुक्ला की हत्या से हडकंप मच गया। उनका शव घर के चौनल के पास खून से लथपथ मिला। ग्रामीणों के मुताबिक, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे और पैर में बिजली का तार लपेटकर करंट प्रवाहित किया गया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। एसपी प्राची सिंह ने घटना स्थल का लिया जाएजा। अजय कुमार अविवाहित थे और गांव की आबादी से कुछ दूरी पर स्थित अपने मकान में अकेले रहते थे। गाँव में रहकर खेती–किसानी का काम करते थे। उनके बड़े भाई राजेश शुक्ला परिवार के साथ गुजरात के सूरत में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक, बुधवार रात खाना खाने के बाद अजय घर में सोने चले गए थे।

सुबह करीब आठ बजे कुछ ग्रामीण अजय को जगाने उनके घर पहुंचे। चौनल के पास उन्हें खून से लथपथ पड़ा देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। पैर में बिजली का तार लिपटा था। ग्रामीणों ने पहले तार हटाया और इसके बाद पुलिस को सूचना दी। किचन से एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि अजय पर पहले किचन में धारदार हथियार से हमला किया गया और इसके बाद उन्हें चौनल गेट के पास तख्ते पर लिटाकर पैर में बिजली का तार बांधकर करंट लगाया गया। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और घटना का क्रम पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना की सूचना मिलने पर सीओ अनूप कुमार सिंह, थाना प्रभारी शशांक शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

हत्या की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र में हत्या की घटनाएं सामने आने से लोगों में भय और दहशत का माहौल है। ताजा मामला मालीपुर थाना क्षेत्र के तेन्दुआ इटौरी धमरूआ गांव का है, जहां अजय शुक्ला पुत्र बैजनाथ शुक्ला, उम्र करीब 43 वर्ष, की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हत्या के पीछे क्या कारण रहा और वारदात को किसने अंजाम दिया, यह अभी जांच का विषय है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। लगातार हो रही हत्या की घटनाओं ने एक बार फिर जिले की कानून–व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अपराधियों में पुलिस का भय कम होता नजर आ रहा है और आए दिन गंभीर वारदातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले का कितनी जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करती है।

चढ़ावा चोरी की जांच के बीच चंपत राय ने जारी किया नौ पन्नों का बयान

संवाददाता–अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर उसकी व्यवस्थाओं तक पूरी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट के संचालन व लेन–देन में पूरी पारदर्शिता का पालन होता है साथ ही उन्होंने राम मंदिर दर्शन की व्यवस्था की भी खूब तारीफ की। चंपत राय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में उनकी व डॉ. अनिल मिश्रा की सामाजिक सक्रियता को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी की जांच–पड़ताल अभी जारी है।

चंपत राय ने बैंक अकाउंट के संचालन व भुगतान को लेकर कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट का बैंक अकाउंट बिना चेक बुक अकाउंट है, सभी भुगतान बैंक ट्रान्सफर के द्वारा ही होता है। नगद का उपयोग नहीं होता है। अतः आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता है। सभी लेन–देन में संपूर्ण सरकारी नियमों का पालन होता है। सरकार के सभी विभागों के टैक्स जमा किये जाते हैं, सरकार के किसी टैक्स में कभी चोरी नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट के खाते तीन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं। सभी प्रकार का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है।

चढ़ावा प्रकरण में लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में रहे राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय 25 जुलाई से लगातार रामनगरी के मठ–मंदिरों में जाकर साधु–संतों से मुलाकात कर रहे हैं। अब पिछले करीब एक सप्ताह से डॉ. अनिल मिश्र भी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में दोनों की बढ़ी सक्रियता को लेकर कई मायने निकाल रहे हैं।

ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख चेहरों की सार्वजनिक गतिविधियां बढ़ने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों पदाधिकारी अब सामाजिक और धार्मिक स्तर पर अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने की रणनीति के तहत कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। चढ़ावा प्रकरण की जांच के बाद अब एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट तक पहुंच चुकी है।

ऐसे में मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका और आगे होने वाली कार्रवाई को लेकर भी नजरें बनी हुई हैं। चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र की बढ़ी सक्रियता तथा गोपाल राव की अयोध्या वापसी ने मंदिर के प्रशासनिक और संगठनात्मक समीकरण को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई ऑक्शन से सम्बन्धित सूचना। **एडमिन यूनिट/जोन :** लखनऊ–पू.उ.रे.–मण्डल–वाणिज्य/पू.उ.रे., **नीलामी सूची सं./लॉट सं. : MPS-LJND09-2026, नीलामी सूची प्रकाशन तिथि :** 18.08.2026 समय 17:12 बजे, **नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट) :** 03.09.2026 समय 10:00 बजे, **नीलामी बंद करने की तिथि व समय :** 03.09.2026 समय 11:00 बजे, **नीलामी का प्रकार :** Close Ended, **वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है :** E-Auction Module of www.ireps.gov.in

सहायक वाणिज्य प्रबन्धक,
मुजाधि/वाणिज्य-112 पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें

मसाला–मूंगफली कारोबारी के ठिकाने पर जीएसटी का छापा

संवाददाता–गोरखपुर। राज्यकर विभाग की टीम ने गुरुवार को साहबगंज में मसाला और मूंगफली कारोबारी के गोदाम पर छापेमारी की। दो गाड़ियों से पहुंची अधिकारियों की टीम ने गोदाम में रखे कारोबार से संबंधित बिल–बाउचर और अन्य दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। टीम दस्तावेजों की जांच कर टैक्स चोरी से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है। राज्यकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों पादरी बाजार स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में मूंगफली लदा ट्रक पकड़ा गया था। जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर साहबगंज के कारोबारी के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। इससे पहले बुधवार को इसी मामले में शाहजहांपुर में भी मूंगफली कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। अधिकारियों का दावा है कि जांच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिहार और बंगाल तक मूंगफली के कारोबार में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का नेटवर्क सामने आया है। विभिन्न स्थानों पर की जा रही कार्रवाई के दौरान मिले दस्तावेजों और कारोबारी लेनदेन की जांच के बाद टैक्स चोरी की वास्तविक राशि का आकलन किया जाएगा। राज्यकर विभाग की टीम ने गोदाम से जब्त दस्तावेजों को जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है।

बांसी में अवैध अल्ट्रासाउंड की भरमार, जिम्मेदार मौन!

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बांसी (सिद्धार्थनगर)। तहसील क्षेत्र में बिना मानक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के संचालित बताए जा रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों, पैथोलॉजी सेंटरों और निजी अस्पतालों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में कई ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हैं, जहां रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा कई पैथोलॉजी सेंटर और निजी अस्पताल भी आवश्यक विशेषज्ञता एवं मानकों के बिना संचालित किए जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर इन संस्थानों की जांच की जाए तो नियमों की अनदेखी करने वाले कई मामलों का खुलासा हो सकता है। लोगों का यह भी आरोप है कि शिकायतों और कार्रवाई की मांग के बावजूद संबंधित जिम्मेदार विभाग की ओर से प्रभावी जांच और नियमित निगरानी दिखाई नहीं देती।

क्षेत्रवासियों के मुताबिक बांसी–खलीलाबाद मार्ग पर बेलौहा बाजार में हाल ही में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि किसी मरीज की मौत के वास्तविक कारण का निर्धारण चिकित्सकीय जांच और संबंधित सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकता है।

बेलौहा बाजार में भी कई पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जांच केंद्रों पर योग्य विशेषज्ञों की उपलब्धता, पंजीकरण, लाइसेंस, मशीनों के संचालन और निर्धारित मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के पास क्षेत्र में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी सेंटरों और निजी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने की व्यवस्था है? यदि निरीक्षण होता है तो नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई, यह भी सार्वजनिक होना चाहिए।

स्थानीय लोगों की मांग है कि बांसी तहसील क्षेत्र के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों, पैथोलॉजी और निजी अस्पतालों की विशेष जांच अभियान चलाकर उनके पंजीकरण, चिकित्सकीय विशेषज्ञों की उपलब्धता, आवश्यक लाइसेंस तथा निर्धारित स्वास्थ्य मानकों की जांच की जाए। यदि कोई संस्थान नियमों के विपरीत संचालित पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्तर पर आम जनता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ऐसे में सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, बल्कि नियमित निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था का भी है। अब देखना यह है कि इन शिकायतों पर जिम्मेदार विभाग कब तक संज्ञान लेकर जांच कराता है।

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सफाई कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा

संवाददाता–संतकबीरनगर। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने गुरुवार को दोपहर में जिले में तिरंगा यात्रा निकाली। संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। यह तिरंगा यात्रा संगठन के जिलाध्यक्ष परमहंस गौतम की अध्यक्षता में जूनियर हाईस्कूल खलीलाबाद से शुरू हुई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मेहदावल बाईपास पहुंची। इस दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मांगों के समर्थन में नारे लगाए। हाथों में लहराता तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। कर्मचारियों ने देशभक्ति के नारों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से उठाया। मेहदावल बाईपास पहुंचने के बाद संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। वे लंबे समय से इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। जिलाध्यक्ष परमहंस गौतम ने बताया कि कर्मचारी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे हैं। इसके बावजूद पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों में लगातार चिंता बनी हुई है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की अपील की।

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अशोक कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्वर्गीय श्री राम समुझ चतुर्वेदी निवासी ग्राम खीरीघाट पोस्ट मड़वानगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती का निवासी हूं। मैं करीब 69 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति हूं तथा मेरी पली श्रीमती किरन चतुर्वेदी अध्यापिका हैं मेरे पुत्र अभिनव चतुर्वेदी व उनकी पत्नी श्रीमती प्रीती चतुर्वेदी पिछले दो वर्ष से मुझसे व मेरी पली से अलग रहते हैं। मेरे पुत्र अभिनव चतुर्वेदी व उनकी पत्नी श्रीमती प्रीती चतुर्वेदी न तो मेरी और न ही मेरे पत्नी की कोई देखभाल करते है और न ही कोई खाना पीना अथवा किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करते है। मेरे पुत्र व उनकी पत्नी कहीं दूर दराज रहते हैं, कभी कभार आते हैं तो अपना खाना पीना अलग बनाते खाते है। हम लोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध या वास्ता नहीं रखते है न ही बोलते चालते है। मेरी बीमारी में भी मेरा कोई दवा इलाज भी नहीं कराते है। आज की तारीख दिनांक 31–7–2026 को मै और मेरी पत्नी श्रीमती किरन चतुर्वेदी अपनी चल व अचल सम्पति से अभिनव चतुर्वेदी व उनकी पत्नी श्रीमती प्रीती चतुर्वेदी को बेदखल कर रहे हैं। अब मेरा और मेरी पत्नी, परिवार का अभिनव चतुर्वेदी व उनकी पत्नी श्रीमती प्रीती चतुर्वेदी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अपने किसी भी प्रकार के लेन–देन व वाद, विवाद आदि के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगें। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अपील सं0– C202517000001431

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त (न्यायिक) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला–बस्ती

अशोक कुमार आदि

बनाम

रणवीर संजय सिंह आदि

1. रणवीर संजय सिंह पुत्र केदारनाथ सिंह 2. गौरव सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह 3. सविता सिंह पत्नी अमर बहादुर सिंह 4. अंजली सिंह पुत्री अमर बहादुर सिंह निवासी ग्राम कलवारी मुस्तहकम तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 28–08–2026

अपील बनराजी आदेश अदालत अपर जिलाधिकारी मुकाम बस्ती मयरिखा 31 महीना 10 सन् 2025 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 28 महीना 08 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान अपर जिलाधिकारी बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–D202517140002100

धारा 30 (1) उ0प्र0रा0सं0–2006

परदेशी

बनाम

सरकार आदि

मौजा खेमराजपुर तप्पा खुरियार परगना नगर पश्चिम तहसील हरैंया जिला बस्ती

1. सरकार उ0प्र0 जरिए जिलाधिकारी बस्ती 2. प्रदीप कुमार पाण्डेय 3. रामबचन पाण्डेय 4. संदीप कुमार पाण्डेय पुत्रगण हरिप्रसाद पाण्डेय साकिनान पढ़नी पो0 बेलघाट जिला बस्ती

तारीख पेशी 08–09–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 08 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 20 माह 08 सन 2026 ई0 जारी किया गया। –द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–501/2024

गीता देवी

बनाम

सरकार

1.जरिए ग्राम प्रधान औरातोन्दा तप्पा रतनपुर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैंया जिला बस्ती

तारीख पेशी 06–10–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश

(आर्डर 9 कायदा 9) (2)

अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद संख्या–14/2025

कृष्णचन्द्र पाण्डेय (मृतक) आदि

बनाम

चन्द्रशेषर पाण्डेय (मृतक) आदि

1– चन्द्रशेषर पाण्डेय मृतक पुत्र परमानन्द पाण्डेय 1/1– संजय उम्र करीब 30 साल पुत्र चन्द्रशेषर पाण्डेय 1/2– सौमिला पत्नी चन्द्रशेषर 2. विनोद कुमार पाण्डेय उम्र करीब 41 साल 3– विनय कुमार पाण्डेय उम्र करीब 35 साल 4– विजय कुमार पाण्डेय उम्र करीब 35 साल पुत्रगण चन्द्रशेषर पाण्डेय निवासी ग्राम बनकटिया तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती –प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग 5– कमलेश कुमार पाण्डेय उम्र करीब 42 साल 6– अनमोल पाण्डेय उम्र करीब 34 साल पुत्रगण कृष्ण चन्द्र पाण्डेय 7– मालती पाण्डेय उम्र करीब 82 लाल पत्नी कृष्णचन्द्र पाण्डेय 8– पूनम पाण्डेय उम्र करीब 45 लाल पुत्री कृष्णचन्द्र पाण्डेय पत्नी संजय पाण्डेय साकिन आहर तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती 9– नीलम दूवे उम्र 33 साल पुत्री कृष्णचन्द्र पाण्डेय पत्नी दिलीप दूवे ग्राम खोरिया रघुवीर सिंह पोस्ट पथरा बाजार तहसील बांसी जिला सिद्धार्थानगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 22–08–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 22 माह 08 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय। मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय– श्रीमान ग्राम न्यायालय रूधौली बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–231/2016

त्रिलोकी

बनाम

खेदू

8/1 राम केवल उम्र लगभग 50 वर्ष 8/2 प्रेमा देवी उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्री राम केवल 8/3 सीमा उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्री राम केवल 8/4 रीना उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्री राम केवल 8/5 संगम उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्री राम केवल निवासी ग्रा० महुवार टोला नहरमवापुर तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती पोस्ट महुवार

तारीख पेशी 02–09–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 02 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com